



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: एम.जे.पी.रू.वि./कु.स.का./2023/000 436
सेवा में,

दिनांक: 17.07.2023

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबंधक

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय: वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या 1915/सत्तर-3-2023-08(14)/2018 दिनांक 17.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक प्रस्तावित "सड़क सुरक्षा पखवाड़ा" के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी

कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार अपने महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक सम्बन्धित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

अतः संदर्भित शासनादेश में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें साथ ही कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 01.08.2023 तक ई-मेल draffiliationmjpru@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समेकित आख्या शासन को ससमय उपलब्ध करायी जा सकें।


संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


17/7/23
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. डा0 सोमपाल सिंह, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. डा0 टी0यू0 सिद्दीकी, संयोजक, सड़क सुरक्षा क्लब को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डा0 ब्रजेश कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, वि0वि0 परिसर।
5. मीडिया प्रभारी।
6. सहायक कुलसचिव, सम्बद्धता।
7. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
8. प्रभारी, वेबसाइट।


17/7/23
कुलसचिव

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0,
प्रयागराज।
- 2 कुल सचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
- 3 विशेष कार्याधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2023

विषय:-वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1822/तीस-3-2023, दिनांक 03.07.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की" दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक के साथ संलग्न उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17.07.2023 से 21.07.2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश संख्या-43/सत्तर-3-2023, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार

- (1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।
- (2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

4- अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका छात्र/छात्राओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, इसकी अनुपालन आख्या दिनांक 02.08.2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आई0डी0-hesection.3@gmail.com पर हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय




(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक सूचना, उ०प्र० ।
- 7- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र० ।
- 10- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त (प्रारूप) की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 06/07/2023

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-1822/तीस-3-2023

संख्या 908/NPPSHED/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त मण्डलायुक्त, 30 प्र 01
- 2 समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, 30 प्र 01
- 3 समस्त जिलाधिकारी, 30 प्र 01
- 4 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/ गाजियाबाद /प्रयागराज ।
- 5 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30 प्र 01

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2023

विषय : वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

18050 (G) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद' की दिनांक 09-10-2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

06/07/23 (एम० पी० अग्रवाल) उल्लेखनीय है कि माह जनवरी, 2023 से मई, 2023 तक के सड़क दुर्घटना एवं प्रमुख सड़कियों की संख्या में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम होने के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में 5.5 प्रतिशत तथा दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में सर्वाधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है।

31841(vst)/23 45(A) मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुक्रम में जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया

07-07-23 जाना तितांत आवश्यक है।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

503
07/07/23

श्री अमित
7.7.2023

3. उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 'सड़क सुरक्षा पखवाड़ा' दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवनिष्ठ,

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र

Date: 03-07-2023 12:42:22

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, उ० प्र० शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ० प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ० प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
- ✓ 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, उ० प्र०।
11. परिवहन आयुक्त, उ० प्र० लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम, लखनऊ।
13. निदेशक, यातायात, उ० प्र० लखनऊ।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन० वैकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 17.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल-लो0 नि0 वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम	<p>उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक को आमंत्रित किया जाये और सभी संबंधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत करते हुए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड का लगाया जाना एवं भविष्य में दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए। ● पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। ● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना तथा सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना। ● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाना। ● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई 0 टी 0 एन 0 एस 0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कैप्चर किये हुए उल्लंघन-कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना। <p>जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें निर्धारित एजेण्डा के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विमर्श करते हुए, बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन पखवाड़ा के अवशेष दिवसों में किया जाये तथा जनपदीय रोड सेप्टी एक्शन प्लान तैयार कराके पखवाड़े के अंत में ए 0 आर 0 टी 0 ओ 0 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ 0 प्र 0 को प्रेषित किया जाए।</p>					
द्वितीय	सभी बस/ ट्रक/ आटो/ ई-टैक्सी चालकों उनके यूनियन पदाधिकारियों	परिवहन निगम के बस चालकों एवं तबसों के स्वच्छता अभियान	ऑटो रिक्शा, डिपो रिक्शा, टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर	ई-समस्त एवं स्वामित्व विभाग/कार्यालय परिसर में उच्च समस्त अधिकारी/	सड़क उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एजेंसी विद्यालयों में उच्च शिक्षा संस्थानों	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के एनआईसी नियुक्त DISTRICT ROLL OUT

	<p>साथ सड़क सुरक्षा चलाते हुए उन्हें यातायात कर्मचारी द्वारा छात्रों, Manager के साथ जागरूकता कार्यक्रम कार्यवाही नियमों के संबंध में सड़क सुरक्षा के अध्यापकों एवं समन्वय स्थापित का आयोजन किया किया जाना। जागरूक किया जाए। बारे में जागरूक अभिभावकों के करते हुए चिकित्सा जाना। परियहन करते हुए सड़क मध्य सड़क एवं स्वास्थ्य विभाग समस्त ऑटो, टैक्सी विभाग के सुरक्षा शपथ सुरक्षा से के कर्मियों को चालक यूनिन के कार्यक्रम में कराया जाना तथा संबंधित Handholding पदाधिकारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण देना तथा चालक एवं उनके सहयोग प्रदान फोटो ग्राफ्स प्रेषित जागरूकता कार्यक्रम का लम्बित सड़क आश्रितों को आयुष्करना तथा मान भारत योजना के जागरूकता आयोजन किया दुर्घटनाओं के विवरण अंतर्गत रू0 5.00 कार्यक्रम में जाणा। सभी को एप पर फीड लाख का बीमा प्रदान निगम के विद्यार्थियों को करना। किये जाने हेतु चालक, सड़क सुरक्षा जागरूक किया जाना परिचालकों शपथ दिलाई तथा को शामिल जाये। चालकों/आश्रितों की कराना। सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाना।</p>					
<p>तृतीय</p>	<p>दो पहिया वाहन की निगम की बसों दो पहिया वाहन की वर्ष 2023 में माध्यमिक एवं समस्त व्यावसायिक हेल्मेट (चालक एवं की फिटनेस हेल्मेट (चालक एवं चिन्हित नवीन उच्च शिक्षण संस्वाहन चालकों एवं पीछे बैठी सवारी की जांच कर पीछे बैठी सवारी ब्लैक स्पॉट का थानों में परिवहन निगम के सहित), सीटबेल्ट, कर्मियों को दूर सहित), सीटबेल्ट, सत्यापन कर संचालित रोड बस चालकों का मोबाइल फोन, गलत करना तथा मोबाइल फोन, गलत सड़क निर्माण से पटी क्लबों के स्वास्थ्य जांच कार्ड दिशा में वाहन का सड़क सुरक्षा दिशा में वाहन का एजेंसी/ विभाग का अंतर्गत सड़क के अनुसार नेत्र एवं संचालन करने के दृष्टिगत संचालन करने के निर्धारण एवं सभी सुरक्षा संबंधी स्वास्थ्य जांच किया विरुद्ध लोगों को बसों में विरुद्ध लोगों को ब्लैक स्पॉट का जागरूकता जाना। जागरूक करते हुए स्थापित जागरूक करते हुए विश्वकर्मा एप में कार्यक्रम का प्रभावी प्रवर्तन पब्लिक एड्रेस प्रभावी प्रवर्तन अंकन का कार्य पूर्ण आयोजन कार्यवाही किया सिस्टम द्वारा कार्यवाही किया कराया जाये। कराना, शिक्षण जाना। सड़क सुरक्षा जाना। संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों का दो पहिया वाहन चलान के समय हेल्मेट का प्रयोग अनिवार्य समन्वधी प्रचार-प्रसार किया जाना।</p>					

	स्वास्थ्य जॉच कार्ड परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम द्वारा मुद्रण कराते हुए उपलब्ध कराया जाना।				करना। ऐसे जनपद जिनमें संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन नहीं हुआ है, उनका गठन सड़क सुरक्षा पखवाड़े की अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना।	
चतुर्थ	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध जागरूक करते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर पीछे बैठी सवारी के कर्मियों को दूर कराना तथा मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध जागरूक करते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध जागरूक करते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी/ ठेकेदार का IRC-SP-55 के अनुसार वर्क जोन सेफ्टी के प्रावधानों के साथ रोड सेफ्टी के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण दिया जाना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	ड्रामा सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सतत सजीवनी सेवा के क्रियान्वयन की दिशा में अग्रतर कार्यवाही।
पंचम	सेव लाइफ फाउण्डेशन के सहयोग से सभी 75 जनपदों में बस/ट्रक/टैम्पो/टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा/परिवहन निगम के चालकों को सेफ्टी प्रशिक्षण दिया जाना।	इंजन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जम्पिंग, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी चेकिंग के विरुद्ध अभियान।	वर्ष 2016, 2018, 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को	मास्टर ट्रेनर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के छात्रों एवं उनके	दाबा, टोल प्लाजा पर कार्य करने वाले लोगों एवं आस-पास रहने वाले अन्य स्वैच्छिक व्यक्तियों को सेव लाइफ फाउण्डेशन के माध्यम से फर्स्ट	

			चिन्हित कर उन्हें अभिभावकों के रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग पूर्ण कराया जाना। सड़क सुरक्षा के दिया जाना। निर्माणाधीन प्रति जागरूक परियोजनाओं के किया जाना। कार्यस्थल पर वर्क जोन सेप्टी के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन किया जाना।		
षष्ठम	<p>पूर्वाह्न- परिवहन निगम के अधिकारियों सहयोग से सुरक्षा कार्यक्रम आयोजन चालकों/परिचालकों एवं यात्रीगणों को जागरूक किया जा तथा परिवहन निगम के चालकों हेतु सेशन पर ही हेल्थ केम्प का आयोजन कर चालकों/परिचालकों की सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जाँच परीक्षण किया जाए।</p> <p>अपराह्न- अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।</p>	<p>परिवहन निगम के बस संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। शहर के प्रमुख स्थलों पर अवैध रूप से परीक्षण शिविर खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान।</p>	<p>वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित अवशेष ब्लैक जेनपद स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।</p>	<p>मास्टर ट्रेनर के माध्यम से विभाग द्वारा समस्त मेडिकल कॉलेज के बेसिक, सर्जरी एवं हड्डी रोग विभाग द्वारा मेडिकल एवं पैरामेडिकल उच्च शिक्षा के छात्रों हेतु बेसिक सड़क सुरक्षा एवं लाइफ सपोर्ट एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना। संबंधित एक संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन।</p>	<p>चिकित्सा शिक्षा</p>
सप्तम	<p>पूर्वाह्न- ओवर लोडिंग/गलत प्लेट, विनारेट्रो-एचएसआरपी</p>	<p>परिवहन निगम की बसों में विनारेट्रो-एचएसआरपी</p>	<p>स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रयोजित कराकर</p>	<p>पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड</p>	<p>सभी स्कूली बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र सहयोग किया जाना।</p>

	<p>वाहन, सड़क केटेप, बैकनि:शुल्क रेट्रो-तथा रोड मार्किंगपरीक्षण हेतु किनारे खड़े अवैधलाइट, रिफ्लेक्टिव टेप कोका निरीक्षण कियापरिवहन विभाग वाहनों एवंइंडीकेटर, लगाने हेतु प्रेरितजाना तथाद्वारा आयोजित रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेपहेडलाइट, किया जाय एवंक्षतिग्रस्त साइनस्वास्थ्य शिविर की चेकिंग कियापंजीयन नम्बरलगवाया जाए तथाबोर्ड/रोड मार्किंगमें भेजना। जाना तथा लेनप्लेट, सड़क के किनारेको पुर्नस्थापित झाड़विंग के बारे मेंखिड़कियों मेंखड़े अवैध वाहनोंकरने की चालकों को जागरूकशीशे लगे होनेको हटाया जाए एवंकार्यवाही एवं किया जाना। सड़ककी चेंकिंगचालकों को लेनसमस्त साइन बोर्ड सुरक्षा के दृष्टिगतकिया जाना।झाड़विंग के बारे मेंकी स्पष्ट दृश्यता वाहन चालकों कोतथा इनमें सेचालकों को जागरूकहेतु वृक्षों/झाड़ियों रात्रि में हेड लाइट केमानक केकिया जाना। की छटाई किया हाई बीम/लो बीम केअनुरूप न सड़क सुरक्षा केजाना। प्रयोग के संबंध मेंपाये जाने परदृष्टिगत वाहन जागरूक कियाउनका सुधारचालकों को रात्रि में जाना। करना। हेड लाइट के हाई अपराह्न- सड़कबीम/लो बीम के टैम्पो/टैक्सी यूनियनसुरक्षा केप्रयोग के संबंध में एवं ट्रांसपोर्टदृष्टिगत वाहनजागरूक किया एसोसिएशन के साथचालकों कोजाना। विचार गोष्ठी एवंरात्रि में हेड स्कूली वाहनों केलाइट के हाई चालकों का स्वास्थ्यबीम/ लो बीम विभाग के सहयोग सेके प्रयोग के सामान्य स्वास्थ्य एवंसंबंध में नेत्र परीक्षण काजागरूक आयोजन तथा सड़ककिया जाना। सुरक्षा शपथ दिलाया जाना।</p>			
<p>8 वॉ</p>	<p>प्रदूषण जांच केन्द्रोंपरिवहन निगमवाहनों की चेकिंग व मानकके चालकों एवंमॉडीफाइड से अधिक प्रदूषणपरिचालकों साइलेन्सर/ हूटर/ आवश्यक फैलाने वाले वाहनोंकी वर्दी मेंसॉयरन/ प्रेशर हॉर्नसुरक्षात्मक उपायगठित रोड सेप्टी एम्बुलेंसेंस की चेकिंग।उपस्थिति एवं शीशों पर कालीयथा-बोर्ड लगाना, क्लबों द्वारा छात्रोंई 0 एम 0 टी0 का मॉडीफाइड कराकर उनकेफिल्म का प्रयोगट्रैफिक कॉमिंगको सड़क सुरक्षाप्रशिक्षण साइलेन्सर/हूटर/ मध्य सड़ककरने वालों केमेजर्स तथा अन्यके प्रति जागरूककार्यशैली का प्रेशर हॉर्न/शीशे परसुरक्षा सेविरुद्ध चेकिंगरोड सेप्टीकिया निरीक्षण एवं</p>	<p>परसकरी पुलिया कोमाध्यमिक चिन्हित करते हुएविद्यालयों एवंएन 0 एच 0 ए 0 आई महाविद्यालयों में0/ एक्सप्रेस वे की सुरक्षात्मक उपायगठित रोड सेप्टी एम्बुलेंसेंस का प्रयोगट्रैफिक कॉमिंगको सड़क सुरक्षाप्रशिक्षण केमेजर्स तथा अन्यके प्रति जागरूककार्यशैली का चेकिंगरोड सेप्टीकिया निरीक्षण एवं</p>	<p>108 एम्बुलेंस/ विद्यालयों एवंएन 0 एच 0 ए 0 आई महाविद्यालयों में0/ एक्सप्रेस वे की सुरक्षात्मक उपायगठित रोड सेप्टी एम्बुलेंसेंस का प्रयोगट्रैफिक कॉमिंगको सड़क सुरक्षाप्रशिक्षण केमेजर्स तथा अन्यके प्रति जागरूककार्यशैली का चेकिंगरोड सेप्टीकिया निरीक्षण एवं</p>	<p>108 एम्बुलेंस/ विद्यालयों एवंएन 0 एच 0 ए 0 आई महाविद्यालयों में0/ एक्सप्रेस वे की सुरक्षात्मक उपायगठित रोड सेप्टी एम्बुलेंसेंस का प्रयोगट्रैफिक कॉमिंगको सड़क सुरक्षाप्रशिक्षण केमेजर्स तथा अन्यके प्रति जागरूककार्यशैली का चेकिंगरोड सेप्टीकिया निरीक्षण एवं</p>

	काली फिल्म की चेकिंग।	संबंधित विषयों पर विवेक कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। विवेक कम्पटीशन में विजेता क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	अभियान।	प्रावधान को स्थापित किया जाना तथा पूर्व में किये गये प्राविधानों का समुचित रख-रखाव किया जाना।	जाना।	एन्ड्युलेसेंस द्वारा दी जा रही प्री-हॉस्पिटल केयर के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही।
9 वॉ	प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। मॉडीफाइड साइलेन्सर/हूटर/प्रेसर हॉर्न की चेकिंग।	परिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हैंडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	समस्त आई 0 टी 0 एम 0 ए एस 0 को यूपी 0 112 से इंटीग्रेट किये जाने हेतु कार्यवाही की जाना।	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के एन 0 आई 0 सी 0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण एजेंसी को प्रशिक्षण देना तथा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन 0 एस 0 एम 0 सी 0 सी 0 / रोजर्स रेंजर/स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के एन 0 आई 0 सी 0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।
10 वॉ	समस्त व्यावसायिक एवं परिवहन निगम को स्वास्थ्य जांच कार्ड	व्यावसायिक वाहन चालकों के बस चालकों को स्वास्थ्य जांच कार्ड	सभी जनपदों में स्थापित सिग्रल	के विवरण को एप पर फीड करना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा	सभी अस्पतालों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

	विभाग एवं परिवहन निगम द्वारा मुद्रण कराते हुए उपलब्ध कराया जाना।	सी0 सी0 टी0 वी0 / ए0 एन0 पी0 आर0 आदि कैमरे सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं, को सुनिश्चित किया जाना।		विद्यार्थियों के मध्य विचित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	के (विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन।
11 वॉ	ड्रंकन त्था स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना। स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप चेंकिंग किया जाना तथा ट्रैफिक जाम के विरुद्ध कार्यवाही।	ड्रंकन त्था स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	ड्रंकन त्था स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त बोर्ड/रोड को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छटाई किया जाना।	बैसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में एवं चिकित्सा शिक्षा (विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन।
12 वॉ	ड्रंकन त्था स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	ड्रंकन त्था स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	ड्रंकन त्था स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र जाँच किया जाना।	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
13 वॉ	ओवर लोडिंग, गलत नम्बर प्लेट की बसों की शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित	परिवहन निगम की बसों की क्षेत्रों में संचालित	शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित	एक्सप्रेस-वे तथा कंसल्टेंसी के	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के

	लगे वाहनों, सड़कप्रदूषण एवंमाकैट तथा बिना राष्ट्रीय राजमार्गमाध्यम से के किनारे खड़ेअन्य जांचपार्किंग वाली माकैटपर स्थित समस्तब्रेसिक/माध्यमि अवैध वाहनों एवंयथा-वाइपर, में सड़क के किसीटोल प्लाजा परक/ उच्च शिक्षकों रेडोरिफलेक्टिव टैपइंडिकेटर, बैकएक किनारे कोलेन-ड्राइविंग तथाका ऑनलाइन की चेकिंग कियालाइट, पार्किंग हेतु निर्धारणओवरस्पीडिंग नप्रशिक्षण कराया जाना तथा लेनहैडलाइट, कर बोर्ड लगायाकरने हेतु चालकोंजाना। ड्राइविंग का पालनखिड़की एवंजाना। को प्रशिक्षित किया न करने वालेहरवाजों में लगे जाना तथा सड़क वाहनों के विरुद्धहुए शीशे की सुरक्षा के प्रति प्रवर्तन कार्यवाही। जांच कर उन्हें जागरूक भी किया ठीक हालत में किया जाना। जाना।
14 वॉ	ओवर लोडिंग, परिवहन निगमशहरों में आवासीयसमस्त अभियंत्रणपरिवहन विभागपरिवहन विभाग के गलत नम्बर प्लेटके बस डिपोक्षेत्रों में संचालितविभाग द्वारा मार्गोंएवं स्वास्थ्यसहयोग से स्कूली लगे वाहनों, सड़कतथा बसों कीमाकैट तथा बिनाके समस्त जक्शन/विभाग केवाहनों के चालकों की के किनारे खड़ेस्यच्छता कापार्किंग वाली माकैटचौराहे पर ट्रैफिकसहयोग सेनेत्र जाँच। अवैध वाहनों एवंभौतिक में सड़क के किसीकॉमिंग मेजर्स कीस्कूली वाहनों के रेडोरिफलेक्टिव टैपसत्यापन क्षेत्रीय/एक किनारे कोस्थापना काचालकों की नेत्र की चेकिंग कियासहा0 क्षेत्रीयपार्किंग हेतु निर्धारणभौतिक सत्यापनजाँच। जाना तथा लेनप्रबन्धक स्तर सेकर बोर्ड लगायाकिया जाना तथा ड्राइविंग का पालनकराते हुएजाना। समस्त कमरतोडू न करने वालेकार्यवाही कियाअवैध पार्किंग मेंस्पीड ब्रेकर को वाहनों के विरुद्धजाना तथा कृतखड़े वाहनों/अवैधहटाते हुए आवश प्रवर्तन कार्यवाही। कार्यवाही कोटैम्पो एवं टैक्सियकतानुसार मुख्यालय प्रेषितस्टैण्ड के विरुद्धक्षतिग्रस्त हो गये किया जाना। प्रभावी कार्यवाहीस्म्बल स्ट्रिप, टेबल किया जाना टॉप, रोड मार्किंग आदि ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स की पुर्नस्थापना किया जाना।
15 वॉ	जनपद के मा0परिवहन निगमट्रैफिक व्यवस्था हेतुवर्ष 2021 एवं वर्षसमस्त दिक्सोंए0 आर 0 टी0 ओ जनप्रतिनिधि तथाके इलेक्ट्रानिक 2022 में चिन्हितकी सूचनाएं0, संभागीय निरीक्षक जिला एवं पुलिसचालकों/परिचाल उपकरणों का परीक्षणअवशेष ब्लैकफोटोग्राफ सहित (प्राविधिक) तथा प्रशासन केकों कीकरते हुए उसकीस्पॉट का निरीक्षणसंकलित करमुख्य अधिकारियों कीउपस्थिति मेंजानकारी ट्रैफिकतथा तात्कालिकअपने-अपने चिकित्साधिकारी उपस्थिति में बस,समापन कर्मियों को दियासुधार वाले कार्योंसंबंधित द्वारा अधिकृत

<p>ट्रक, ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों/एन 0 जी0 ओ 0 माध्यम से सड़क सुरक्षा समापन का आयोजन जाना कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एन 0 जी0 ओ 0/ तीन व्यक्तियों /जनपद के गुड सेमेरिटन/रोड सेपटी क्लंब के अतिरिक्त स्टेक होल्डर विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक/मास्टर ट्रेनर/ अभियन्ताओं को सम्मानित किया जाना। समस्त आरटीए के सचिव द्वारा ऑटो, टैक्सी चालक एवं उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रू0 5.00 लाख का बीमा प्रदान किये जाने हेतु चालकों/आश्रितों</p>	<p>कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालक/परिचालक/ सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाना।</p>	<p>जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित किया जाना।</p>	<p>को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।</p> <p>03 कर्मियों को सम्मानित किया जा।</p> <p>एन.एच.ए.आई., उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग के मुख्यालय द्वारा समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकलित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।</p>	<p>मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात् परिचालन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा 108 एम्बुलेंसेस को टोल प्लाजा से हटा कर ब्लैक स्पॉट या वलनरेबल स्पॉट पर पुनर्स्थापना तथा एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम कम किये जाने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही।</p>
---	---	--	--	---	---

की संकलित सूचना मुख्यालय प्रेषण का प्रमाण- पत्र प्रेषित करना।					
--	--	--	--	--	--

वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-822/30-3-2023, दिनांक 03.07.2023 के साथ संलग्न कार्यक्रम की सूची

दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक

क्रमांक	दिनांक/दिवस	बिन्दु
1	प्रथम	<p>उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक को आमंत्रित किया जाये और सभी संबंधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> • समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत करते हुए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड का लगाया जाना एवं भविष्य में दो पहिया वाहन पर बिना हेल्मेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए। • पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। • सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना तथा सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना। • सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उत्तक्रे क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाना। • सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई 0 टी0 एम0 एस0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से कैप्चर किये हुए उल्लंघन कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना। <p>जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें निर्धारित एजेण्डा के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विमर्श करते हुए, बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन पखवाड़ा के अवशेष दिवसों में किया जाये तथा जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार कराके पखवाड़े के अंत में ए0आर0टी0ओ0 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाये।</p>
2	द्वितीय	<p>उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के माध्यम सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।</p>

3	तृतीय	उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित रोड सेफ्टी क्लबों के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराना, शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों का दो पहिया वाहन चालन के समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करना। ऐसे जनपद जिसमें संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन नहीं हुआ है उनका गठन सड़क सुरक्षा पखवाड़े की अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना।
4	चतुर्थ	उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।
5	पंचम	मास्टर ट्रेनर द्वारा उच्च शिक्षा के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
6	षष्ठम	मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना।
7	सप्तम्	सभी स्कूली बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भेजना।
8	आठवाँ	महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
9	नवाँ	उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोवर्स रेंजर/स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।
10	दसवाँ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
11	11वाँ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
12	12वाँ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
13	13वाँ	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेंसी के माध्यम से उच्च शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाना।
14	14वाँ	परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की नेत्र जाँच।
15	15वाँ	समस्त दिवसों की सूचनार्ये फोटोग्राफ सहित संकलित कर विभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।